कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक ९९८५ /१५-१ दिनांक: आगरा: १७, अक्टूबर, 2018

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार पोलीथीन बैग क्रय हेतु निविदायें निर्माण इकाइयों/कम्पनियों/फर्मों से डबल बिड प्रक्रिया के अन्तर्गत तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड मोहरबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदा फार्म में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के प्रपत्र सम्मिलित हैं, जिसे अलग-अलग बन्द लिफाफों में भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा इन लिफाफों पर स्पष्ट रूप से तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अंकित होना चाहिए। दोनो सीलबन्द लिफाफों को एक अन्य लिफाफे में बन्द कर इस कार्यालय को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 को अपरान्ह 3.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक एवं कार्यालय में प्रेषित करना होगा। इच्छुक निविदादाता जारी शर्तों एवं अनुबन्धों के साथ दिनांक 19 अक्टूबर 2018 से 25 अक्टूबर 2018 की सायं 4.00 बजे तक कार्यालय से निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते है, जिसे दिनांक 26 अक्टूबर को अपरान्ह 4:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित समिति द्वारा खोले जायेंगे। यह निविदा वर्ष 2018-19 के लिए होगी-

क्रम	आपूर्ति स्थल का नाम	कार्य का विवरण		निविदा मूल्य (जी0एस0टी0 सहित) रू0 में	बन्धक धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि/अभियुक्ति
		कार्य का प्रकार	संख्या			
1	2	3	4	6	7	8
1	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा	1- काली पोलीथीन बैग एच.डी.ई.पी. साइज-14"x20" (300 गेज)	36000	100	10000.00	आपूर्ति आदेश प्राप्त होने से 07 दिवस में। बजट की उपलब्धता के अनुसार पोलीथीन बैग की संख्या घट-बढ़ सकती है।
		2- काली पोलीथीन बैग एच.डी.ई.पी साइज-06"x09" (200 गेज)	600000			

नियम व शर्ते :-

1. बेबसाइट से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ तालिका के अनुसार बन्धक धनराशि को एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 जो प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के पदनाम से बन्धक हो तथा निविदा फार्म के मूल्य का नान रिफेण्डिबिल डिमाण्ड ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से देय हो, संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं होगी।

2. निविदादाता को तकनीकी बिड में निम्नलिखित अभिप्रमाणित प्रपत्रों को संलग्न करना अनिवार्य होगा-
उद्योग विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र, उद्योग आधार प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर द्वारा जारी फर्म का जी0एस0टी0 नम्बर प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर, पिछले तीन वर्ष की आयकर विवरणी एवं ऑडिटेड बैलेन्स सीट, जिले के एस0एस0पी0 द्वारा जारी पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र, जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आई0एस0ओ0-9001:2015 का प्रमाण पत्र,

वन विभाग में पालिथीन बैगों की आपूर्ति का तीन वर्ष का अनुभव, आपूर्ति किये जाने वाले पॉलिथीन बैग के बीस नमूने एवं प्रमाणित लैब द्वारा जारी टेस्ट रिपोर्ट।

3. वित्तीय बिड में निविदादाता को जी0एस0टी0 की दर एवं एक्स फैक्टरी अवश्य उल्लेख करना होगा अन्यथा शर्तिया निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। समस्त कार्यों का भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित जी0एस0टी0, आयकर एवं अन्य करों की कटौती किये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।

4. निविदादाता द्वारा प्रत्येक डाउनलोड निविदा प्रपत्र समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के कार्यालय में दिनांक 26 अक्टूबर 2018 की सायं 3:00 बजे तक पंजीकृत डाक से एवं कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऐसा न किये जाने की दशा में निविदा नान रिस्पॉन्सिव घोषित कर दी जायेगी। डाक में हुई देरी के लिए निविदा आमन्त्रणकर्ता/विभाग किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगें।

5. उक्त निविदा में संलग्न तकनीकी बिड दिनांक 26 अक्टूबर 2018 की अपरान्ह 4.30 बजे सक्षम अधिकारी या उसके द्वारा गठित समिति के द्वारा खोली जायेगी तथा जिस निविदादाता की तकनिकी बिड उपयुक्त पायी जायेगी उसी निविदादाता की वित्तीय बिड सक्षम अधिकारी द्वारा मान्य होगी।

6. निविदा में दर्शायी गयी कार्य की लागत अधिकतम है। आपूर्ति की दरें प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के कार्यालय तक पहुँचती हुई होनी चाहिए। एक या समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के पास सुरक्षित रहेगा।

7. उक्त पालीथीन बैगों की आपूर्ति आदेश की मात्रा आवश्यकतानुसार घटायी–बढ़ायी जा सकती है।

8. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय का कार्य क्षेत्र जनपद आगरा होगा तथा अन्तिम निर्णय का अधिकार मुख्य वन संरक्षक आगरा जोन, आगरा का होगा।

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0 सेल उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक आगरा जोन, आगरा।
5. वन संरक्षक आगरा वृत्त, आगरा।
6. जिलाधिकारी आगरा।
7. जिला सूचनाधिकारी, आगरा।
8. समस्त प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, आगरा वृत्त, आगरा।
9. समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
10. नोटिस बोर्ड।

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।